01/2010 IV 500Rs.

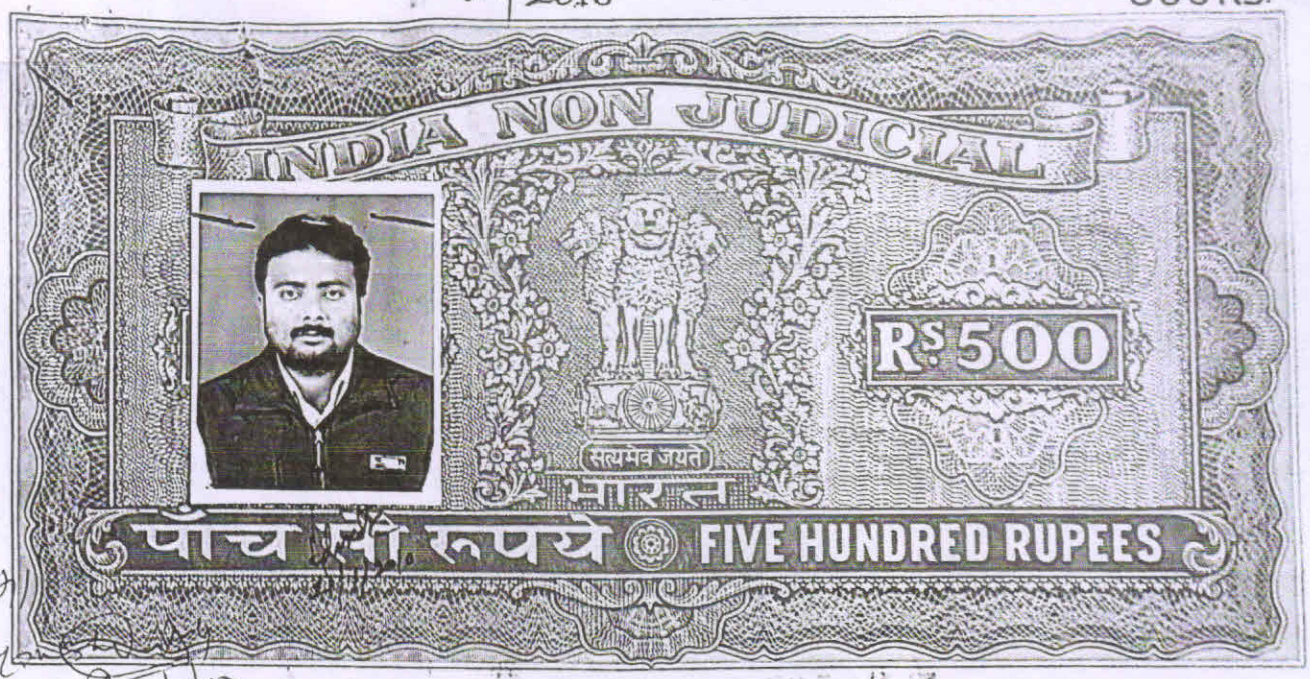

21/1/10

न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड)

हम कि सैयद अरशद पुत्र सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह वार्ड नं0–11 निकट स्टेट बैंक पो0–आनन्दनगर, महराजगंज जनपद–महराजगंज का निवासी हूँ। मैं अपने माता–पिता श्री अब्दुल्लाह एवं श्रीमती नूरजहाँ के नाम के स्मृति में उनका नाम कायम रखने के लिए सोचा कि माता पिता जी के नाम से एक ट्रस्ट बना दूँ जिससे कि उनकी शिक्षा की विचार धारा का प्रसार होता रहे तथा स्वस्थ्य समाज, भाईचारा, आपसी सदभाव तथा युवाओं की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के लिए विभिन्न स्तरो पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय, तथा हास्टल एवं साधनहिन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा व अन्य प्रकार की मुलभूत सुबिधा उपलब्ध कराने एवं बेरोजगारी को दूर करने हेतु योग्यता अनुसार उन रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना तथा समाज के लिये जनहित मे उक्त कार्यो को सम्पादित करने एवं लोगों को अधिकाधिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के संस्था एवं समितियों के निर्माण के लिए एक न्यास बनाया जाये और इस हेतु आवश्यक संसाधना की व्यवस्था की जाये और इस हेतु हम मुकिर ने रू 10000/ (दस हजार रूपया) का न्यास कोष व्यवस्थित कर दिया है जो इस न्यास की आरम्भिक सम्पत्ति कही जायेगी। हम मुकिर इस न्यास के न्यासकोष में विभिन्न उपायों से धन की व्यवस्था करता रहूंगा।

हम मुकिर अपने द्वारा स्थापित उक्त न्यास के प्रबन्ध एवं प्रशासन बाबत एक न्यास पत्र निष्पादित कर रहा हूँ जो निम्नलिखित है :–

1. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का नाम अब्दुल्लाह नूरजहां (ए0एन0 एजूकेशनल ट्रस्ट) होगा।
2. यह कि हम मुकिर द्वारा स्थापित न्यास का पंजीकृत कार्यालय वार्ड नं0–11 निकट स्टेट बैंक पो0–आनन्दनगर, महराजगंज जनपद–महराजगंज होगा। ट्रस्ट के कार्यो के सुगमतापूर्वक, संचालन के लिए न्यास मण्डल ने न्यास के अन्य क्रिया–कलापो,संस्थाओं एवं संगठन को भारत प्रदेश, तहसील, ब्लाक व ग्राम स्तर पर स्थापित किया जाय जो कि पंजीकृत कार्यालय से संचालित किया जायेगा।
3. यह कि न्यास के मुख्य न्यासी हम मुकिर होगें जो आजीवन बने रहेगें। मुख्य न्यासी ही सचिव होगा जो सम्पूर्ण अधिकार अपने में निहित करते हुए न्यास का विधिक मुख्य कार्यकारी होगा। मुख्य न्यासी के न रहने पर मुख्य न्यासी के पुत्रगण कमशः श्री अदनान अब्दुल्लाह एवं श्री रेहान अब्दुल्लाह संयुक्त रूप से ही मुख्य न्यासी होगें को अपना उत्तराधिकारी न्युक्त करता हूँ;
4. यह कि न्यास के स्थापना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है।

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
Scholar's Academy
Anandnagar,Maharajganj

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यास मण्डल के सदस्यों तथा मुस्तफेदीन को न्यास से जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त कर सकते है।

(7) यह कि न्यास मण्डल की वार्षिक बैठक वर्ष मे जून माह में होगी।

(8) यह कि न्यास के स्थापित एवं संचालित शिक्षण संस्थाओं तथा समितियों में अनियमितता उत्पन्न होने पर किसी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में संचालन के बावत गठित समितियों को भंग करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा और ऐसी स्थिति में संबंधित संस्था की पूर्ण व्यवस्था का अधिकार मुख्य न्यासी में निहित होगा।

न्यास का कोष :–

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा, जिसमें सभी प्रकार के शुल्क दान–अनुदान, चन्दा एवं सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान से प्राप्त राशि निहित होगी जिसका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक या मान्यता प्राप्त बैंक में होगा।

मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले या न्यास के किसी न्यासी के संयुक्त नाम से संचालित किया जायेगा।

न्याय का अभिलेख–

न्याय के अभिलेख को तैयार करना, हस्ताक्षर करना, रख–रखाव करने आदि का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा और मुख्य न्यासी समस्त बिल–बाउचर आदि अपने संरक्षण में रखेगा और समय–समय पर आवश्यक्तानुसार प्रस्तुत करेगा।

न्यास की सम्पत्ति की व्यवस्था–

1. यह कि मुख्य नयासी स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए भुमि भवन क्रय कर सकेगें किराये पर दे सकेगें एवं बेच व खरीद सकेगें तथा बन्धक कर सकते हैं और दीवानी फौजदारी आदि मुकदमा में वकील नियुक्त करके उसकी पैरवी देखभाल अदालतों में व अन्य जगहों पर बतौर मुख्य न्यासी/सचिव कर सकते है।
2. यह कि न्यासी न्यास मण्डल के लिए वह सभी कार्य करेगा जो न्यास के हितो के लिए आवश्यक हो तथा न्यास की पुर्ति में सहायक हो।
3. यह कि न्यास के प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा न्यास तैयार होने के बाद भविष्य मे जो भी सम्पत्ति न्यास द्वारा अर्जित की जायेगी उस पर भी न्यास की उक्त शर्ते पुर्णरूप से लागू रहेगी।

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER

Scholar's Academy
Anandnagar,Maharajganj

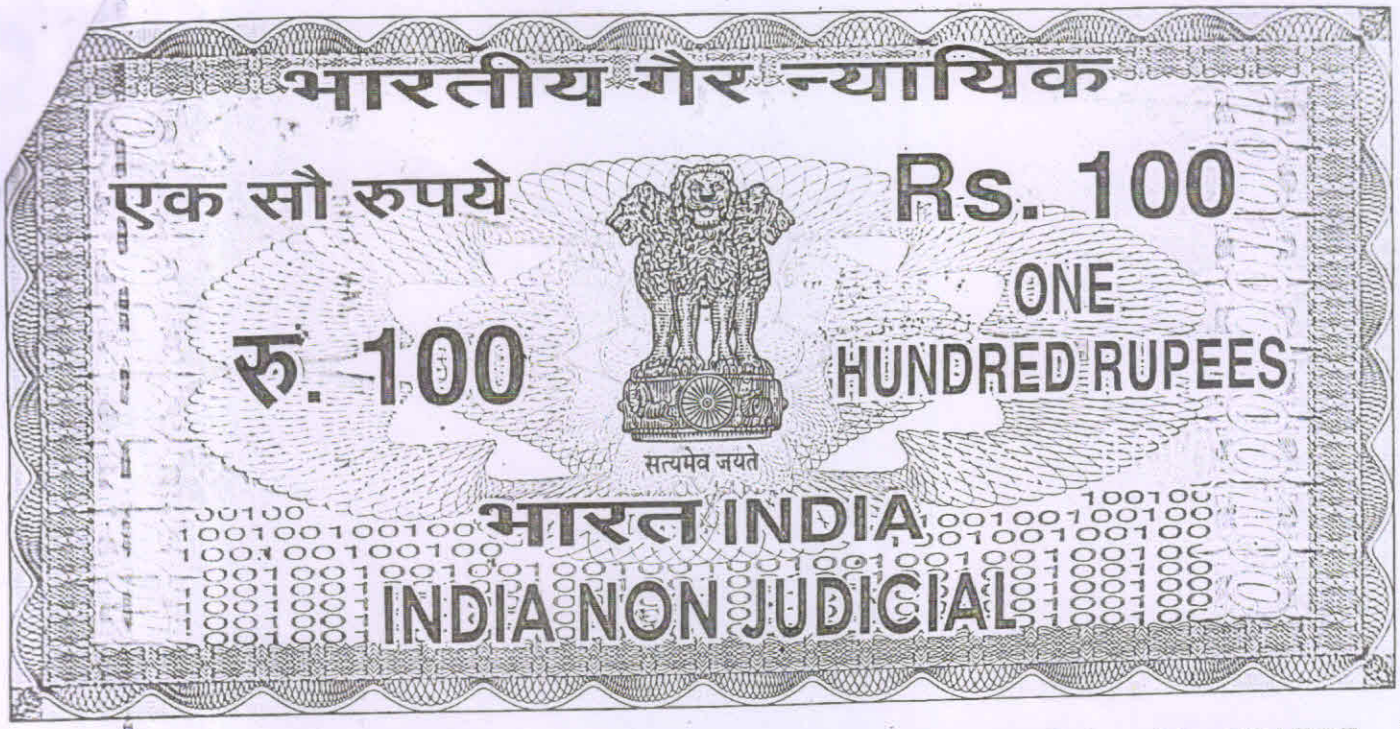

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH [illegible] विशेषकर महिलाओं हेतु प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयसे महाविद्यालय तक 976307
विद्यालयों की स्थापना तथा उनका संचालन करना। जो यू0पी0बोर्ड, सी0बी0एस0सी0, राज्य सरकार, भारत सरकार व विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कर उससे सम्बद्धन कराके, अनुदान एवं अन्य प्रकार के सहयोग प्राप्त कर विद्यालयों का संचालन करना।

(बी) तकनीकी चिकित्सकीय, व्यावसायिक, आधुनिक, कृषि एवं औद्योगिक, चिकित्सा एवं नैतिक शिक्षा व विधि शिक्षा की व्यवस्था करना तथा उसका संचालन करना।

(सी) समाज के प्रत्येक वर्गो के लिए आधुनिक शिक्षा विशेषकर कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर प्रचार करना।

(डी) समाज को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक कार्यकम चलाना अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए सरकारी सहायता प्राप्त करना।

(इ) बाल विकास हेतु गैर सरकारी, सरकारी माध्यम से सहयोग प्राप्त करके विभिन्न लाभकारी योजना का संचालन करना।

(एफ) महिला कल्याण एवं मातृ कल्याण के लिए एवं अनाथ महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल एवं बृद्धा आश्रम की उचित व्यवस्था करना।

(जी) नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योग प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं व प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना। कृषि के विकास कार्यकमो के कियान्वित करना तथा जीव–जन्तु से सम्बन्धित सामाजिक कल्याणार्थ कार्य करना।

(एच) गॉव व शहरों मे परिवार कल्याण, एड्स, कैन्सर एव स्वास्थ्य तथा बच्चों के कल्याण हेतु चिकित्सकीय स्वास्थ्य सम्बन्धित कार्यकमों में सरकार का सहयोग करना एव सरकार से सहयोग प्राप्त कर विभिन्न कार्यकमों का संचालन करना।

(आई) सरकार के सहयोग से शहरी व ग्रामीण अंचलो मे पर्यावरण संबंधित कार्यकम तथा प्रदुषण मुक्त समाज का स्थापना करना।

(जे) समाज के लोगों के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना शान्ति हेतु मानवाधिकार के कार्यकम का संचालन करना।

(के) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं के हित में व्यक्तियों सस्थाओं सरकारी अर्ध सरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान, उपहार अनुदान व किसी भी रूप में धन व अन्य सम्पत्तियो को प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए खर्च करना।

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
Scholor's Academy
Anandhagar.Maharajganj

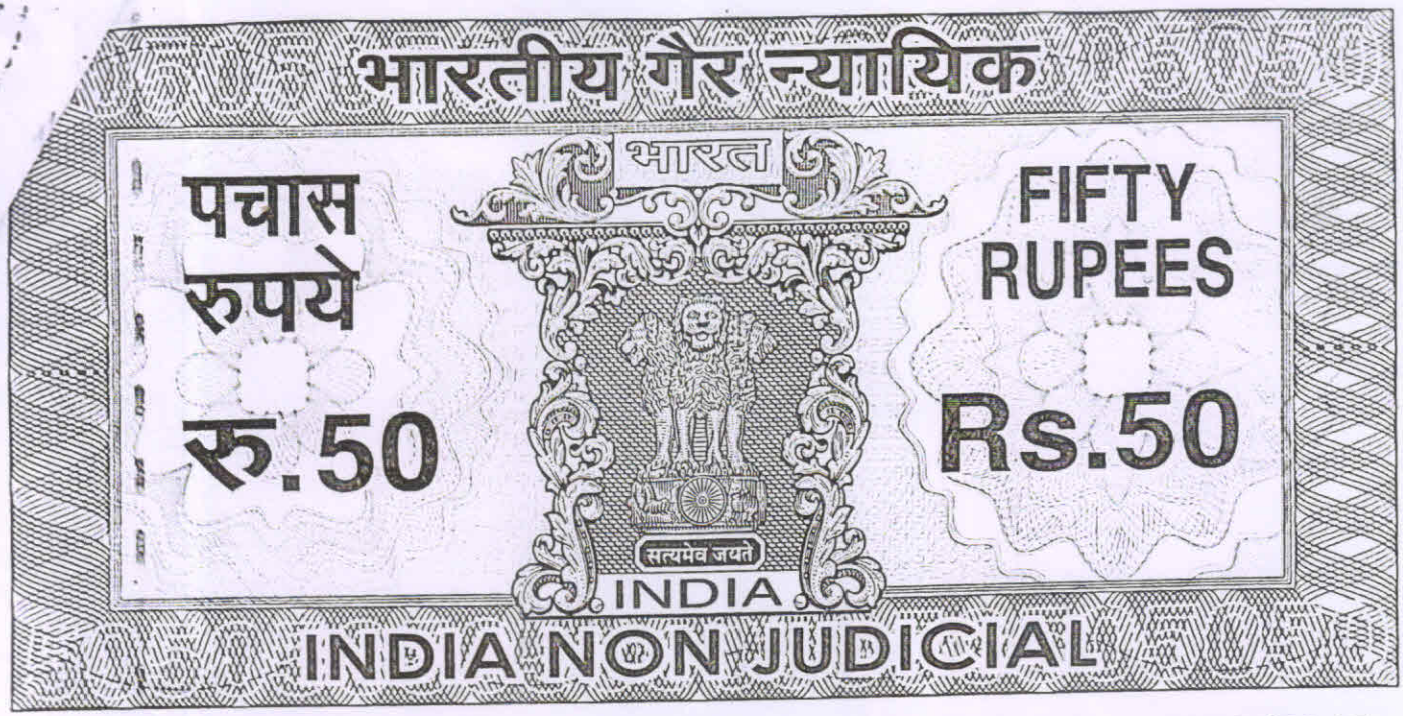

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 943243

[illegible] सस्थाओं के विभिन्न प्रकार के सदस्यता हेतु नियमावली के अनुसार सदस्यता शुल्क निर्धारित करना तथा प्रबन्ध इकाईयॉ गठित कर नियमावली बनाना।

(एम) न्यास के पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्था तथा व्यक्ति से उपहार मे चल एवं अचल सम्पत्ति के रूप में हो प्राप्त करना।

न्यास मण्डल का गठन एवं न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था :–

(1) यह कि हम मुकिर न्यास के संस्थापक व मुख्य न्यासी होंगे जो कि न्यास के सचिव कहलायेगें तथा हम मुकिर द्वारा न्यास के संचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रूप में कार्य करने क्रो सहमत है को न्यासी नामित करता हूँ जिन्हे न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा। न्यास मण्डल मे कुल तीन पदाधिकारी मुख्य न्यासी सहित छः न्यासी होगें जिसमे अध्यक्ष डा0 एस0एम0अब्दुल्लाह उपाध्यक्ष श्रीमती जाकिया सुल्ताना (न्यासी) तथा सचिव हम मुकिर सैयद अरशद (मुख्य न्यासी) होगें।

मुख्य न्यासी द्वारा नामित न्यासीगण :–

1. हाजी मो0 सईद
2. श्रीमती तरन्नुम होगें।

(2) मुख्य न्यासी न्यास के हित में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति व संस्थाओं का गठन कर उसके पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगें। मुख्य न्यासी के अधीन गठित समितियों एवं सस्थाओं द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने की दशा में स्वय अपने विवेक से उन्हे भंग कर सकेगें अथवा नई समिति व संस्था का गठन कर सकेगें।

(3) यह कि मुख्य न्यासी को न्यास की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। मुख्य न्यासी से कोरम मे बहुमत का आधार होगा।

(4) यह कि किसी न्यासी द्वारा रिक्त हुई जगह अथवा किसी नये न्यासी की नियुक्ति को करने के लिए मुख्य न्यासी द्वारा जगह को भर कर न्यासी के रूप में कार्य कराने का अधिकार होगा।

(5) यह कि न्यास मण्डल के अन्य न्यासी का यदि न्यास के हितो के विपरित आचरण करते हुए पाया जायेगा तो उन्हे बहुमत के आधार पर एवं मुख्य न्यासी सहमति पर या अकेले मुख्य न्यासी के आदेश से न्यास से पृथक करके मुख्य न्यासी के आदेश पर किसी अन्य को जिसे मुख्य न्यासी समझे न्यास के रूप मे समायोजित किया जायेगा।

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar-Maharajganj

MANAGER
Scholor's Academy
Anandnagar,Maharajganj

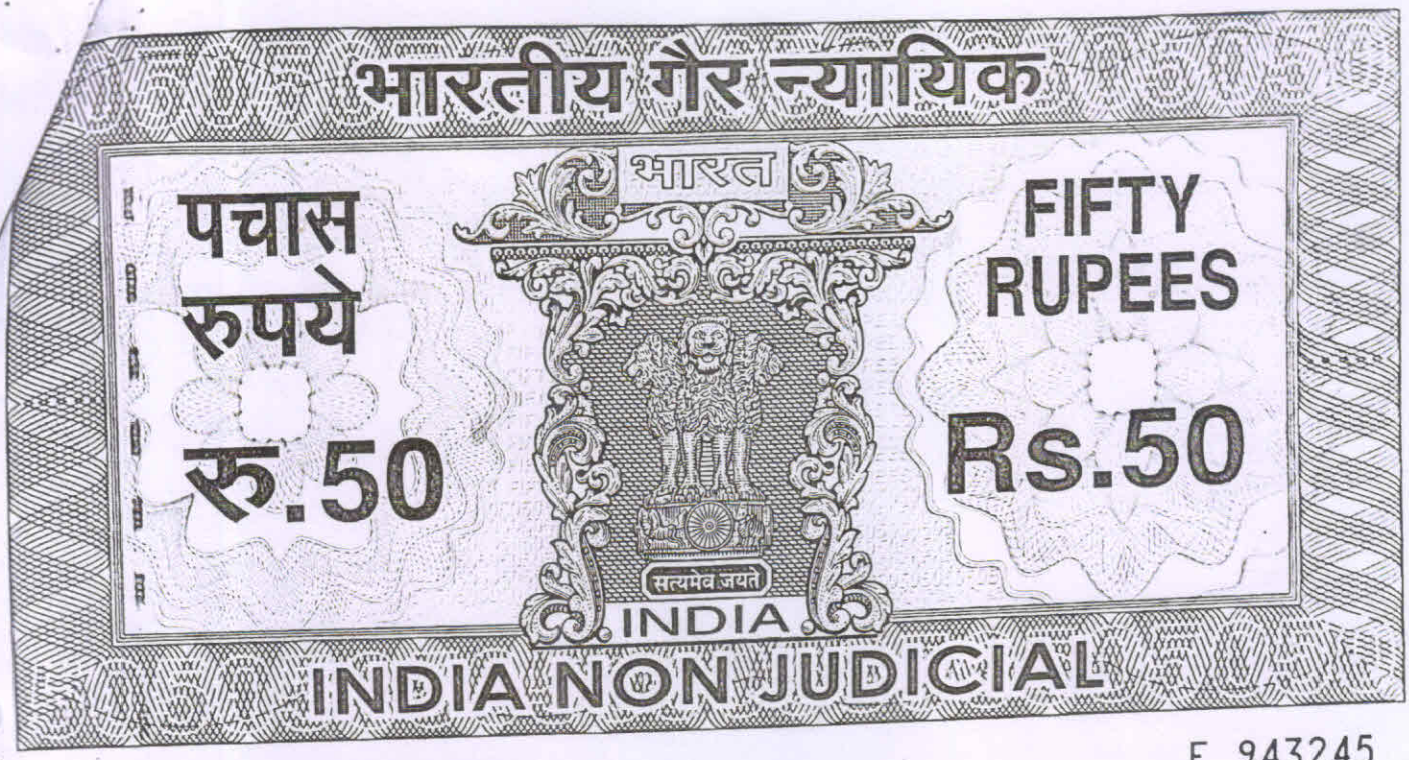

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

E 943245

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. यह कि न्यास के सम्बन्धित उक्त शर्ते सभी न्यासियों व भविष्य में होने वाले न्यासियों पर मान्य होगी और इसमें किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज करने का हक किसी को हासिल नही होगा।

लेहाजा बदुरूस्ती होशो–हवाश बिना जब्र वे दबाव दिगरे, बखुशी व रजामन्दी से ए0 एन0 एजूकेशन ट्रस्ट की गठन व स्थापना के बावत यह न्यास विलेख समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया एवं हस्ताक्षरित कर दिया कि उक्त जरूरत पर काम आवे।

सैयद अरशद
मुख्य न्यासी
(सैयद अरशद)
21/01/2010

तैयारकर्ता– [signature]
21/1/10

गवाहान– (1) मु० शमीम
पुत्र– हबीबुल्लाह
वार्ड नं. 11 आनन्द नगर
महराजगंज

(2) [signature] S/o Late Abdul Mohd Yakub
Ward No. 11 Rudrapur
Anand Nagar
M/GANJ

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar Maharajganj

सैयद अरशद
MANAGER
Scholor's Academy
Anandnagar, Maharajganj

क्रमांक १६९१ ... २१.१.२०१० ... गया है। १६९३

... महराजगंज

... २१ जन व २१ मार्च २०१०

आज दिनांक 21.1.2010 को यही प्रति पुस्तक संख्या IV

खण्ड 2 पृष्ठ 157 से 166 नं० 01

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

राजस्ट्रीकरण अधिकारी

Principal
SCHOLAR'S ACADEMY
Anandnagar-Maharajganj

21.1.2010

MANAGER

Scholor's Academy
Anandnagar,Maharajganj